

# कार्यालय:- नगर पंचायत शिवली जनपद कानपुर देहात

पत्र सं० 224/एन. पी.एस./2017-18

दिनांक 16.03.2018

## ई-अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पंचायत शिवली के वर्ष 2017-18 के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि 14वें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्नांकित कराये जाने वाले कार्यों की ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जिसके डाक्यूमेंट वेबसाइट [etender.up.nic.in](http://etender.up.nic.in) पर दिनांक 17.03.2018 से दिनांक 24.03.2018 तक उपलब्ध है एवं डाउनलोड किये जा सकते हैं तथा दिनांक 24.03.2018 को अपराह्न 03:00 बजे निविदादता/प्रतिनिधि की उपस्थिति में अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय जनपद कानपुर देहात के समक्ष खोली जायेगी। 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत शिवली - कानपुर देहात के नाम से बन्धक कराना अनिवार्य होगा।

क्र०सं०	अनुदान के उपभोग की मदें	कराये जाने वाले कार्य का विवरण	आगणन धनराशि	जमानत धनराशि 10%	निविदा मूल्य + GST 18%	समय
1	मार्ग प्रकाश	40 वॉट एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट कम्प्लीट फिटिंग ऑन पोल (हैवेल्लस/CAT-AAA) 200 नग	1470400.00	147040.00	1711.00	15 दिवस
2	सफाई सामग्री	सिंगल बैरल फागिंग मशीन तीन टायर रिक्शा गाडी के साथ 1 नग	325000.00	32500.00	354.00	15 दिवस
3		डस्टबिन 10 ली० 2000 नग	630000.00	63000.00	708.00	15 दिवस
		डस्टबिन कन्टेनर 4X3 10 नग	259500.00	25950.00	295.00	15 दिवस

### नोट:- आपूर्ति

- किसी भी ई-निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष के पास निहित होगा।
- प्रत्येक निविदा हेतु उसके सम्मुख अंकित पृथक-पृथक निविदा प्रपत्र मूल्य डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी एवं धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० जो कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत शिवली के नाम बन्धक होगी जो शासनादेश के अनुसार बन्धक रहेगी। जिसकी स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करनी होगी तथा एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० की मूल प्रति संलग्न 1 के अनुसार प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिनांक 24.03.2018 को सायं 02:00 बजे तक अधिशासी अधिकारी कक्ष में रखे निविदा बॉक्स में डाली जानी अनिवार्य होगी। एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० की मूल प्रति उपलब्ध न होने की स्थिति आपके द्वारा डाली निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि निविदा डालने से पूर्व उ०प्र० भवन एवं कर्मकार (नियोजन एवं सेवा) शर्त विनियमन अधिनियम - 2005 के तहत श्रमिक कर्मचारी के कल्याणार्थ श्रम विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिसके साक्ष्य स्कैन कर अपलोड करने होंगे
- बिड के साथ धरोहर धनराशि की एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० मूल रूप से निविदा के साथ टेण्डर बॉक्स में डालनी होगी। एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० की कलर व ब्लैक एण्ड व्हाइट प्रति कदापि मान्य नहीं होगी। यदि बॉक्स में निविदादता द्वारा एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० नहीं डाली जाती है तो उसकी निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- निविदाओं में फर्जी व छायाप्रति एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० पाये जाने पर सम्बन्धित फर्म को डिवाइड कर दिया जायेगा।
- एकल निविदा मान्य नहीं होगी।
- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- निर्माण कार्यों का रख-रखाव/अनुरक्षण का कार्य शासनादेश के अनुसार 05 वर्ष तक कराना होगा।
- टैक्नीकल बिड व फाइनेंसियल बिड अलग-अलग देनी होगी।
- निविदा डालने की दिनांक को किसी कारणवश कोई अवकाश घोषित हो जाता है तो निविदा अगली तिथि को खोली जायेगी निविदा डालने से पूर्व आगणन व कार्य स्थल का भली भाँति निरीक्षण कर लें।

अधिशासी अधिकारी  
नगर पंचायत शिवली,  
कानपुर देहात

अध्यक्ष  
नगर पंचायत शिवली  
कानपुर देहात

### प्रतिलिपि- पत्रांक व दिनांक तदैव

- जिलाधिकारी महोदय को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
- अपर जिलाधिकारी महोदय (वि/रा०) प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय कानपुर देहात को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जनपद कानपुर देहात को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
- नोटिस बोर्ड कार्यालय।

अधिशासी अधिकारी  
नगर पंचायत शिवली  
कानपुर देहात